जनसुनवाई में अपर कलेक्टर ने 172 आवेदकों की सुनी समस्याएं

नवभारत न्यूज

मुरैना, 28 अप्रैल। जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार को अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत ने 172 आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना।

जनसुनवाई के दौरान नागरिकों ने राजस्व, भूमि विवाद, छात्रवृत्ति, अतिथि शिक्षक, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक न्याय, पेंशन, स्वच्छता, अतिक्रमण तथा सिंचाई विभाग से संबंधित विभिन्न समस्याएं प्रस्तुत कीं। अपर कलेक्टर ने सभी प्रकरणों का विस्तार से अवलोकन कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस दौरान 6 ऐसे आवेदन चिन्हित किए गए, जिनका निराकरण समय-सीमा में किया जाना संभव था। इन प्रकरणों को संबंधित अधिकारियों के माध्यम से जन आकांक्षा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए, ताकि इनका शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।

जनसुनवाई कार्यक्रम में एसडीएम मुरैना बीएस कुशवाह, डिप्टी कलेक्टर भरत कुमार, श्रीमती प्रतिज्ञा शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई : चंबल कमिश्नर ने 12 लोगों की सुनी समस्याएं

मुरैना, 28 अप्रैल। चम्बल भवन मुरैना में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में चम्बल संभाग के आयुक्त सुरेश कुमार ने कुल 12 आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना। जनसुनवाई के दौरान उपस्थित नागरिकों ने अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याएं प्रस्तुत कीं। प्राप्त आवेदनों में प्रमुख रूप से राजस्व, पुलिस एवं भूमि विवाद, साफ-सफाई व्यवस्था, नालियों के अवरुद्ध होने तथा जलभराव से संबंधित मुद्दे शामिल रहे। आयुक्त सुरेश कुमार ने सभी प्रकरणों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए प्रत्येक आवेदन की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का निराकरण नियमानुसार, पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाए।

सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट, 4 जख्मी

मुरैना, 28 अप्रैल। कैलारस क्षेत्र के टीकेतगढ़ी निवासी जगदीश 57 पुत्र ग्याप्रसाद राठौर की 27 अप्रैल को सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में हेमराज सिंह, शिवराज सिंह, सौरभ, कुलदीप सिकरवार ने गालियां देते हुए मारपीट कर डाली। मौके पर जगदीश को बचाने पहुंचीं उसकी पुत्रवधु विमला, मनीषा और नाती मयंक के साथ भी हमलावरों ने मारपीट की जिससे उन्हें चोटें आईं है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है।

करंट लगने से युवक की मौत

मुरैना, 28 अप्रैल। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के उत्तमपुरा इलाके में रहने वाले रामविलास जाटव 42 पुत्र हुब्बलाल जाटव को 27 अप्रैल को घर में काम करने के दौरान करंट लग गया था। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

मनुष्य को सत्य-संस्कारों का मार्ग दिखाती है भागवत कथा

बृजधाम सोसायटी मुरैनागांव में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन

नवभारत न्यूज

मुरैना, 28 अप्रैल। जौरा रोड स्थित बृजधाम सोसायटी में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के छठवें दिन कथाचार्य पं. शत्रुघ्न बालौठिया ने भागवत के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से मानव जीवन को सार्थक बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य मार्गदर्शन है।

कथाचार्य ने कहा कि भागवत के प्रत्येक प्रसंग में मनुष्य के लिए कोई न कोई शिक्षा छिपी हुई है। भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं हमें प्रेम, करुणा, त्याग, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने कहा कि आज के भौतिकवादी युग में मनुष्य मानसिक तनाव, अहंकार और स्वार्थ में घिरता जा रहा है, ऐसे समय में भागवत कथा मन को शांति और आत्मा को संतुलन प्रदान करती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि कथा केवल सुनने तक सीमित न रहे, बल्कि उसके संदेशों को दैनिक जीवन में आत्मसात किया जाए। माता-पिता का सम्मान, जरूरतमंदों की सेवा, सत्य का पालन और ईश्वर के प्रति श्रद्धा ही सच्चे धर्म की पहचान है।

कथा के दौरान श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे नजर आए तथा भगवान श्रीकृष्ण के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कथा का शुभारंभ 23 अप्रैल को हुआ। इससे पहले मुरैनागांव स्थित दाऊजी मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आयोजन में परीक्षत के रूप में श्रीमती सोमवती विशाल सिंह राजावत उपस्थित हैं।

58 क्वार्टर देशी शराब सहित तीन युवक गिरफ्तार

मुरैना, 28 अप्रैल। जौरा पुलिस ने 27 अप्रैल को रूनीपुर रोड पर रहने वाले अरविंद व्यास पुत्र आत्माराम व्यास नि. ग्वालियर को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ पकड़ा। उधर सुमावली पुलिस ने बंटी पुत्र सुघर सिंह कुशवाह नि. बगियापुरा को 20 क्वार्टर देशी शराब लेकर जाते हुए पकड़ा। एक अन्य कार्रवाई में नूराबाद पुलिस ने लाखन सिंह पुत्र सरदार सिंह किरार नि. खरगपुर को 18 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के विरुद्ध संबंधित थानों की पुलिस ने आबकारी एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिए है।

हीरामन धाम पर मेले का आयोजन कल

देर रात तक होगा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन

नवभारत न्यूज

मुरैना, 28 अप्रैल। शहर के कब्रिस्तान क्षेत्र स्थित हीरामन सरकार धाम पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल धार्मिक मेले का आयोजन 30 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से पूर्ण रात्रि तक किया जाएगा।

धाम के महंत राजेंद्रदास महाराज ने बताया कि मेले में देश एवं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और बाबा के दरबार में अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। महंत राजेंद्रदास महाराज के अनुसार मेले में श्रद्धालुओं के विषवेल के बंध काटे जाएंगे तथा बाबा की कृपा से बांझपन सहित विभिन्न रोगों के निराकरण के लिए विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी। मेले के दौरान शाम 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा। जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक राम कंषाना भक्तिमयी प्रस्तुतियां देंगे।

धाम समिति द्वारा मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

बच्चू कंषाना गुर्जर महासभा के प्रदेश महासचिव बने

मुरैना, 28 अप्रैल। मप्र शासन के पूर्व मंत्री स्व. कीर्तिराम सिंह कंषाना के सुपुत्र वरिष्ठ समाजसेवी बच्चू सिंह कंषाना को सामाजिक कार्यों में उनकी सहभागिता को देखते हुए अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। अपनी नियुक्ति पर श्री कंषाना ने महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिश्चंद्र भाटी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. आरके दोगने, डॉ. जिलेराम कालूराम, जेपी विकल, रामकेश चपराना के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री कंषाना को बधाई देने वालों में विशंभर गुर्जर, प्रदीप गुर्जर, तहसीलदार सिंह भैंसोरा, रविन्द्र गुर्जर, सूबेदार सिंह, महादेव सिंह, पंचम सिंह, राजेन्द्र सिंह, मजबूत सिंह, विनोद, गिर्राज, भूरासिंह, रामलखन सिंह, पुरुषोत्तम सिंह आदि शामिल है।

नूराबाद में युवक की मारपीट, मामला दर्ज

मुरैना, 28 अप्रैल। नूराबाद पुलिस ने जगवीर सिंह गुर्जर 35 पुत्र मेहताब सिंह गुर्जर नि. प्रतापपुरा रिठौरा की रिपोर्ट पर मनोज, भारत, दीपू, करूआ गुर्जर के विरुद्ध मारपीट और जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला दर्ज किया है।

मारपीट की घटना 27 अप्रैल को इमलिया का पुरा में रेलवे अंडर ब्रिज के पास होना बताई गई है।

बच्चों के विवाद पर युवक पर लाठी-सरिया से हमला

गर्भवती महिला से मारपीट के आरोप, जख्मी युवक का चल रहा उपचार

नवभारत न्यूज

मुरैना, 28 अप्रैल। जिले के पोरसा थाना क्षेत्र के शिकहरा गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। हमले में घायल संजय 22 पुत्र रामजीलाल गुर्जर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार सोमवार को संजय की छोटी बहन गांव में पानी भरने गई थी। आरोप है कि वहां उसके चाचा पप्पू गुर्जर के बेटे ने गाली-गलौज करते हुए पानी में मिट्टी डाल दी। घटना की जानकारी मिलने पर संजय ने नाराज होकर अपने चाचा के बेटे को थप्पड़ मार दिया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। पीड़ित के अनुसार शाम के समय उसका चाचा पप्पू गुर्जर सहित आधा दर्जन लोग उसके घर पहुंच गए और सरिया, लाठी, बल्लम तथा कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मारपीट में संजय गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजन घायल युवक को तत्काल पोरसा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत बिगड़ने पर मंगलवार को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचने पर इमरजेंसी डॉक्टर ने उसका उपचार शुरू कराया तथा दोनों पैरों में गंभीर चोट होने के कारण एक्स-रे कराया गया। फिलहाल युवक को वार्ड में भर्ती कर इलाज जारी है। घायल संजय ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसकी गर्भवती भाभी शशि गुर्जर के साथ भी मारपीट की, जिसका उपचार राजस्थान के धौलपुर जिले में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

राजघाट-भानपुर पर डंप 1.58 करोड़ का 7900 ट्रॉली रेत नष्ट किया

कलेक्टर के निर्देशन में संयुक्त टीम की मंगलवार को कार्रवाई

नवभारत न्यूज

मुरैना, 28 अप्रैल। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशानुसार मंगलवार को वन, पुलिस, एसएएफ एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचित रेत पर सख्त कदम उठाया गया। इस दौरान लगभग 7900 ट्रॉली रेत का विनष्टीकरण किया गया, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ 58 लाख रुपये आंकी गई है।

यह कार्रवाई चंबल नदी के राजघाट एवं भानपुरा घाट क्षेत्रों में 50 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम द्वारा की गई। अभियान के दौरान 4 जेसीबी मशीनों की सहायता से अवैध रेत भंडारण को नष्ट किया गया। कार्यवाही में एसडीओ श्याम सिंह चौहान, खनिज निरीक्षक सुरेंद्र पटले, थाना प्रभारी सरायछौला केके सिंह तथा एसएएफ की टीम सक्रिय रूप से उपस्थित रही। प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरों के माध्यम से चंबल नदी के दुर्गम क्षेत्रों में अवैध रेत भंडारण की पहचान कर लक्षित कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान सभी घाटों पर अवैध स्टॉक समाप्त होने तक सतत रूप से जारी रहेगा।

रेलवे ट्रेक पर मिला अज्ञात युवक का शव

मुरैना, 28 अप्रैल। सिविल लाईन थाना पुलिस ने 27 अप्रैल को मुरैना-सिकरोदा रेलखंड पर अप लाईन के पास से एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया। शव को देखने से लग रहा था, कि संभवत: ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई होगी। मृतक कौन था और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

बस ने कार में टक्कर मारी, ड्राइवर से मारपीट

मुरैना, 28 अप्रैल। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में 27 अप्रैल को बैरियर चौराहा के पास बस क्रं. यूपी78-एचटी-0197 के चालक ने बृजेश तोमर पुत्र दिलीप सिंह तोमर नि. काशीपुरा मुरार ग्वालियर की कार में टक्कर मार दी। जब बृजेश ने बस के स्टाफ को इस बात का उलाहना दिया तो चार व्यक्तियों ने मिलकर बृजेश के साथ मारपीट कर डाली। पुलिस ने चार अज्ञात लोगों के विरुद्ध मारपीट की धाराओं में अपराध दर्ज किया है।

अज्ञात लोगों पर चंबल नदी का रेत डंप करने की एफआईआर

मुरैना, 28 अप्रैल। देवगढ़ पुलिस ने वन विभाग की गेम रेंज देवरी के बलवीर सिंह परमार की रिपोर्ट पर नंदपुरा पंचायत में चंबल नदी के डाबरपुरा घाट पर रेत की डंपिंग किए जाने को लेकर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।

फरार हत्यारोपियों से जान का खतरा, पीड़ित ने मांगी सुरक्षा

नवभारत न्यूज

मुरैना, 28 अप्रैल। सरायछोला थाना क्षेत्र से जुड़े हत्या के एक मामले में फरार आरोपियों द्वारा लगातार धमकी दिए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की मांग की है। जिसे लेकर ग्राम बरवासिन निवासी पप्पू पुत्र अजमेर सिंह ने आवेदन सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है।

आवेदन में बताया है कि सरायछोला थाने में दर्ज अपराध क्रं. 54/25 धारा 296, 115;(2), 103(1), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत हत्या का मामला दर्ज है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसके पुत्र अनिल की हत्या 25 जुलाई 2025 को आरोपियों द्वारा गोली मारकर की गई थी। मामले में आरोपी कल्ली उर्फ किल्लेदार, रामजस, भूपेंद्र, नरेश सहित अन्य लोग अब भी फरार चल रहे हैं।

पीड़ित परिवार का कहना है कि फरार आरोपी लगातार राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं और मना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 26 अप्रैल 2026 को मोबाइल फोन पर धमकी दी गई तथा उसी रात आरोपियों द्वारा रिश्तेदार जनपद सरपंच के घर के बाहर फायरिंग भी की गई।

पीड़ित ने बताया कि इस संबंध में तत्समय संबंधित थाने की पुलिस को सूचना भी दी गई, लेकिन पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। आवेदन में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी किए जाने और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की गई है।

घटना को 17 दिन बीते, नहीं दर्ज हुई चोरी की एफआईआर

मुरैना, 28 अप्रैल। विगत 11 अप्रैल को शहर के बड़ोखर इलाके में नंदेपुरा रोड पर आकाश यादव के घर हुई चोरी की वारदात को 17 दिन बीत चुके है। लेकिन स्टेशन रोड थाना पुलिस ने अब तक बदमाशों के विरुद्ध एफआईआर तक दर्ज नहीं की है।

एफआईआर दर्ज नहीं करने की शिकायत पीड़ित आकाश यादव पुत्र अतरसिंह यादव निवासी नंदे का पुरा रोड मुरैना ने पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ को जनसुनवाई के दौरान दिए गए आवेदन में की। आकाश ने संबंधित थाने की पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए है। आवेदन में बताया है कि विगत 11 अप्रैल 2026 को पीड़ित आकाश यादव अपने परिवार सहित डोंगरपुर गांव में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। वहां से 12 अप्रैल को लौटने पर घर का ताला टूटा मिला और अंदर रखा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। घर में रखे सोने के टॉप्स, मंगलसूत्र, कान की बाली, बिजली, चार छोटी बालियां, सोने की तीन अंगूठियां, कपड़े तथा करीब 8 हजार रुपये नकदी गायब थे।

पीड़ित आकाश का कहना है कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए फुटेज के अनुसार घटना 11-12 अप्रैल की रात 12 से 1 बजे के बीच हुई है। फुटेज मिलने के बाद भी पुलिस ने अब तक न तो आरोपियों की पहचान की और न ही एफआईआर दर्ज की है।

कार्यालय, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग मुरैना

क्रमांक-1342...मुरैना
दिनांक-23/04/2026

सार्वजनिक सूचना

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निर्मित भवन क्रं. एलआईजी द्वितीय-985 मयूरवन कॉलोनी मुरैना जो कि श्री बनवारीलाल माथुर पुत्र श्री फद्दीराम माथुर को आवंटित किया गया था। इनके द्वारा उक्त भवन क्रमांक-एलआईजी द्वितीय-985 श्रीमती पूजा सिकरवार पत्नी श्री शरद सिंह सिकरवार के नामांतरण/ हस्तांतरण बावत आवेदन किया है. जो कि इस कार्यालय में विचाराधीन है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस बावत प्रतिवेदन इस कार्यालय में इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करें, निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं मण्डल के नियमानुसार भवन/भूखण्ड हस्तांतरण/ नामांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी.

सम्पदा प्रबंधक
म.प्र.गृ.नि.एवं अधो. विकास मण्डल
संभाग-मुरैना म.प्र.

कार्यालय, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग मुरैना

क्रमांक-1333...मुरैना
दिनांक-23/04/2026

सार्वजनिक सूचना

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निर्मित भवन क्रं. एलआईजी-204 जौराखुर्द मुरैना जो कि श्री अरविंद शर्मा पुत्र श्री बी.के. शर्मा को आवंटित किया गया था। इनके द्वारा उक्त भवन क्रमांक-एलआईजी 204 श्रीमती अनीता गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता के नामांतरण/ हस्तांतरण बावत आवेदन किया है. जो कि इस कार्यालय में विचाराधीन है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस बावत प्रतिवेदन इस कार्यालय में इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करें, निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं मण्डल के नियमानुसार भवन/भूखण्ड हस्तांतरण/ नामांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी.

सम्पदा प्रबंधक
म.प्र.गृ.नि.एवं अधो. विकास मण्डल
संभाग-मुरैना म.प्र.

कार्यालय, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग मुरैना

क्रमांक-1339...मुरैना
दिनांक-23/04/2026

सार्वजनिक सूचना

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निर्मित भवन क्रं. एमआईजी-415 जौराखुर्द मुरैना जो कि श्री नरेश चंद्र अग्रवाल पुत्र श्री आर.सी. अग्रवाल को आवंटित किया गया था। इनके द्वारा उक्त भवन क्रमांक-एमआईजी-415 श्री रामशंकर शर्मा पुत्र श्री हरदयाल शर्मा के नामांतरण/ हस्तांतरण बावत आवेदन किया है. जो कि इस कार्यालय में विचाराधीन है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस बावत प्रतिवेदन इस कार्यालय में इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करें, निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं मण्डल के नियमानुसार भवन/भूखण्ड हस्तांतरण/नामांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी.

सम्पदा प्रबंधक
म.प्र.गृ.नि.एवं अधो. विकास मण्डल
संभाग-मुरैना म.प्र.

कार्यालय, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग मुरैना

क्रमांक-1340...मुरैना
दिनांक-23/04/2026

सार्वजनिक सूचना

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निर्मित भवन क्रं. एलआईजी-1377 मयूरवन कॉलोनी मुरैना जो कि श्रीमती सिरमिती शाक्य पत्नी श्री दाताराम को आवंटित किया गया था। इनके द्वारा उक्त भवन क्रमांक-एलआईजी-1377 श्रीमती कविता पत्नी संजय गुर्जर एवं श्रीमती मनीषा पत्नी श्री मोनू गुर्जर के नामांतरण/ हस्तांतरण बावत आवेदन किया है. जो कि इस कार्यालय में विचाराधीन है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस बावत प्रतिवेदन इस कार्यालय में इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करें, निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं मण्डल के नियमानुसार भवन/भूखण्ड हस्तांतरण/ नामांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी.

सम्पदा प्रबंधक
म.प्र.गृ.नि.एवं अधो. विकास मण्डल
संभाग-मुरैना म.प्र.

कार्यालय, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग मुरैना

क्रमांक-1341...मुरैना
दिनांक-23/04/2026

सार्वजनिक सूचना

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निर्मित भवन क्रं. एलआईजी सीनियर-1170 मयूरवन कॉलोनी मुरैना जो कि श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री विशाल सिंह सिकरवार को आवंटित किया गया था। इनके द्वारा उक्त भवन क्रमांक-एलआईजी सीनियर-1170 श्री धर्मेन्द्र सिंह एवं श्री संजय सिंह पुत्रगण श्री केदार सिंह के नामांतरण/ हस्तांतरण बावत आवेदन किया है. जो कि इस कार्यालय में विचाराधीन है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस बावत प्रतिवेदन इस कार्यालय में इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करें, निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं मण्डल के नियमानुसार भवन/भूखण्ड हस्तांतरण/नामांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी.

सम्पदा प्रबंधक
म.प्र.गृ.नि.एवं अधो. विकास मण्डल
संभाग-मुरैना म.प्र.

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे व्यवहारी दर्शनलाल जाटव पुत्र श्री मुल्लाराम जाटव निवासी ग्राम टेंटरा तह. सबलगढ़ जिला मुरैना म.प्र. द्वारा अपने पुत्र अजय कैमोर के गलत संगत में पड़ जाने से उसका हिस्सा देकर अपने परिवार से 2 साल पूर्व पृथक कर दिया है। मेरे व्यवहारी का विगत 2 साल से अजय कैमोर से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। मेरे व्यवहारी के पुत्र अजय कैमोर में गलत आदतें पड़ गईं है और आये दिन गलत हरकतें करता है और आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहता है। इस कारण वह केरल निवास करने चला गया और केरल में ही निवास कर रहा है, अजय कैमोर द्वारा यदि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी आपराधिक कृत्य या घटना कारित की जाती है या वह स्वयं अपने साथ कोई घटना कारित करता है तो उसके लिए अजय कैमोर स्वयं व संबंधित व्यक्ति उत्तरदायी होगा, मेरे व्यवहारी व मेरे व्यवहारी के अन्य परिवारीजन का कोई संबंध व सरोकार नहीं होगा।

सूचनाकर्ता
दर्शनलाल जाटव पुत्र श्री मुल्लाराम जाटव निवासी ग्राम टेंटरा तह. सबलगढ़, जिला मुरैना म.प्र.
द्वारा अभिभाषक : श्रीमती ममता मौर्य एडवोकेट मुरैना म.प्र.

आम सूचना

श्रीमती मुन्नी प्रजापति पत्नी श्री रोशन प्रजापति के स्वत्व व स्वामित्व एवं आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित एम.एस. रोड की आबादी से दूर, ग्राम मुरैनागाँव, तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.) है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.07 (दाऊ वार्ड) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र. 1292 (पुराना) एवं 1292/12 (नया) ग्राम मुरैनागाँव का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 551.25 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में-भूखण्ड जमीला, पश्चिम में- भूखण्ड सुनीता, उत्तर में-भूमि यादव एवं दक्षिण में-रास्ता 25 फुट चौड़ा है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री होतम सिंह पुत्र श्री पुन्ना द्वारा श्री बनवारीलाल पुत्र श्री रामचरन सिंह, श्री रूपकिशोर शर्मा पुत्र श्री शिवनारायण शर्मा को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.5939 दिनांक 22.03.2013 से विक्रय की गई। श्री रूपकिशोर शर्मा द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती मुन्नी प्रजापति पत्नी श्री रोशन प्रजापति को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 25792023ए 11651991 दिनांक 27.03.2023 से विक्रय की गई। श्रीमती मुन्नी प्रजापति द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान सेवा गृह ऋण लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710